डॉ. बाल कृष्ण अग्रवाल

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य

10 जनवरी, 1995

[एस. सी. अग्रवाल और फैज़ान उदिन, न्यायाधिपतिगण]

सेवा कानून - उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973-धारा 31 ए-व्यक्तिगत पदोन्नति योजना - अधिसूचना दिनांक 21.2.1985 द्वारा निर्धारित सेवा की लंबाई और योग्यतायें - प्रोफेसर के ग्रेड पर पदोन्नति केवल 21.2.1985 से ही वैध रूप से प्रभावी हो सकती है -खंड 18.05 - व्यक्तिगत पदोन्नति और सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त शिक्षको की परस्पर वरिष्ठता - भौतिकी में प्रोफेसर - ऐसे संवर्ग में वास्तविक क्षमता में निरंतर सेवा की अवधि के अनुसार वरिष्ठता का निर्धारण - व्यक्तिगतपदोन्नति योजना के तहत पदोन्नत लोगो की सेवा - 21-02-85 से गणना की जायेगी।

भारत का संविधान, 1950-अनुच्छेद 226-रिट-वैकल्पिक उपचार की उपलब्धता-रिट याचिका को स्वीकार करने के पांच साल बाद उच्च न्यायालय द्वारा गैर-उपयुक्त पक्ष-अभिनिर्धारित, उचित नहीं।

अपीलार्थी और प्रतिवादी सं. 4 और 5 इलाहाबाद विश्वविद्यालय के भौतिकी विभाग में रीडर के रूप में कार्यरत थे। 1983 में प्रोफेसर के एक स्थायी पद पर सीधी भर्ती के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए थे। अपीलार्थी को 9 नवंबर, 1984 के एक आदेश द्वारा मूल रूप से इस पद पर नियुक्त किया गया था। 9 नवंबर, 1984 को, प्रतिवादीगण सं 4 एवं 5 को व्यक्तिगत पदोन्नति योजना के तहत प्रोफेसर के ग्रेड में पदोन्नत किया गया था जो 12 दिसंबर, 1983 को तैयार की गई थी और 10 अक्टूबर, 1984 को अधिनियम में संशोधन द्वारा लागू हुई थी।

अपीलकर्ता को एक वर्ष के परिवीक्षा के बाद प्रोफेसर के पद पर दिनांक 9 नवंबर, 1985 से स्थाई कर दिया गया। विज्ञान संकाय की वरिष्ठता समिति ने अपीलार्थी और प्रतिवादीगण संख्या 4 और 5 की परस्पर वरिष्ठता पर विचार करते हुए निष्कर्ष निकाला कि संवर्ग पदों पर नियुक्तियां और व्यक्तिगत पदोन्नति मामलों पर नियुक्तियां दो अलग-अलग श्रेणियों का गठन करती हैं ताकि इन्हें आपस में नहीं मिलाया जा सके और इन्हें अलग-अलग रखा जाना चाहिए और संवर्ग पदों पर सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त शिक्षकों को उनकी नियुक्ति तिथि पर ध्यान दिये बिना व्यक्तिगत पदोन्नति योजना के तहत नियुक्त शिक्षकों से वरिष्ठ माना जाना चाहिए। वरिष्ठता समिति ने अपीलकर्ता को, जो प्रतिवादीगण

संख्या 4 ओर 5 से उपर प्रोफेसर के कैडर पद पर था, जिसे व्यक्तिगत पदोननति योजना के तहत प्रोफेसर के ग्रेड में पदोन्नत किया गया था।

प्रतिवादीगण संख्या 4 और 5 ने वरिष्ठता समिति के उक्त निर्णय के खिलाफ कार्यकारी परिषद के समक्ष अभ्यावेदन प्रस्तुत किए। कार्यकारी परिषद ने वरिष्ठता में बदलाव किया और प्रतिवादीगण संख्या 4 और 5 को अपीलकर्ता से उपर रखा। कार्यकारी परिषद के फैसले के खिलाफ अपीलकर्ता द्वारा दायर रिट याचिका को उच्च न्यायालय द्वारा इस आधार पर खारिज कर दिया गया था कि उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 की धारा 68 के तहत कुलाधिपति के संदर्भ में वैकल्पिक उपाय अपीलार्थी के लिए उपलब्ध था।

उच्च न्यायालय ने पाया कि नियुक्तियो की प्रकृति के संबंध में विवाद था क्योंकि अपीलार्थी ने दावा किया कि उसे एक नियमित रिक्ति के खिलाफ नियुक्त किया गया था, जबकि प्रतिवादीगणो ने जोर देकर कहा कि तीनों को व्यक्तिगत पदोन्नति दी गई थी और उस तारीख के बारे में भी विवाद था जिस पर अपीलार्थी ने प्रोफेसर के पद पर कार्यभार ग्रहण किया।

अपीलार्थी ने तर्क दिया कि इस तथ्य को ध्यान में रखते हुये कि रिट याचिका 1988 में दायर की गई थी और इसे स्वीकार कर लिया गया था और पिछले पांच वर्षो से अधिक समय से उच्च न्यायालय में लंबित

थी, वैकल्पिक उपाय की उपलब्धता के आधार पर रिट याचिका को खारिज करने में उच्च न्यायालय ने गलती की थी। इसके अलावा, प्रोफेसर के स्थायी पद पर नियुक्ति के लिए चयन समिति द्वारा अपीलार्थी के चयन के संबंध में कोई विवाद नहीं था, जिसकी सिफारिश को कार्यकारी परिषद ने स्वीकार कर लिया था। इसके अलावा, व्यक्तिगत पदोन्नति की सूची में अपीलार्थी को शामिल करने का मतलब यह नहीं था कि उसकी नियुक्ति व्यक्तिगत पदोन्नति के माध्यम से की गई थी, न कि कैडर पद के लिए चयन के आधार पर जिसका विज्ञापन किया गया था।

यह प्रस्तुत किया गया था कि चूंकि अपीलार्थी को 9.9.1984 को प्रोफेसर के पद पर नियुक्त किया गया था, इसलिये वरिष्ठता को विश्वविदयालय के कानून में निहित प्रावधानो द्वारा विनियमित किया जाना चाहिये क्योंकि वे उक्त तिथि पर मौजूद थे और जो संशोधन दिनांक 21.2.1985 की अधिसूचना द्वारा परिनियम अपीलकर्ता की वरिष्ठता के निर्धारण के मामले में किये गये थे,, कोई लागू नहीं होंगे। कानून 18.05 के खंड (बी) के तहत, जैसा कि 9 नवंबर, 1984 को था, जब अपीलार्थी प्रोफेसर के रूप में शामिल हुआ था, तो वह भौतिकी संकाय में प्रोफेसर का चयन पद पर रहते हुये, प्रतिवादीगणो संख्या 4 और 5 से वरिष्ठ था, जो कि निजी पदोन्नति योजनाके अंतर्गत पदोन्नति थे। यह आग्रह किया गया था कि यद्यपि धारा 31-ए, जो व्यक्तिगत पदोन्नति के लिए प्रदान करती

है, को अधिनियम में 10 अक्टूबर, 1984 में पेश किया गया था, इसे सेवा की अवधि के साथ साथ कानून में निर्धारित योग्यताओ के बाद ही प्रभावी किया जा सकता था और यह केवल 21 फरवरी, 1985 की अधिसूचना द्वारा पेश किये गये संशोधनो द्वारा किया गया था। इसलिये, यह तर्क दिया गया कि प्रतिवादीणगण संख्या 4 और 5 की व्यक्तिगत पदोन्नति केवल कानून में ऐसे संशोधन की तारीख से ही कानूनी प्रभाव डाल सकती है और उन्हें 21.02.1985 से पदोन्नत माना जाना चाहिये। यह तर्क किया गया कि चूंकि अपीलार्थी 9 नवंबर, 1984 को प्रोफेसर के रूप में शामिल हुआ, इसलिये उसे प्रतिवादीगणसंख्या 4 और 5 से वरिष्ठ माना जाना चाहिए।

प्रतिवादीगण ने आग्रह किया कि चूंकि प्रतिवादीगण संख्या 4 और 5 की नियुक्ति की वैधता 9.11.1984 से प्रभावी है को अपीलार्थी द्वारा चुनौती नहीं दी गई थी, उसे इस स्तर पर यह प्रश्न उठाने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिये। इसके अलावा, चूंकि अपीलकर्ता और प्रतिवादीगण संख्या 4 और 5 की वरिष्ठता 21.02.1985 की अधिसूचना द्वारा कानून में संशोधन के बाद कार्यकारी परिषद द्वारा निर्धारित की गई थी, इसलिये वरिष्ठता तय करने का मानदंड वह होगा जो कानून में उस दिनांक को जब ऐसा निर्धारण किया, था और वरिष्ठता उचित रूप से 21.02.1985 को अधिसूचना द्वारा संशोधित कानून 18.05 के प्रावधानो द्वारा निर्धारित की

गई थी। आगे यह तर्क दिया गया कि चूंकि अपीलकर्ता और प्रतिवादीगण संख्या 4 ओर 5 प्रोफेसर के रूप में शामिल हुये थे। उसी तारीख को, उनकीपरस्पर वरिष्ठता रीडर के रूप में उनकी सेवा की अवधि के आधार पर निर्धारित की जानी चाहिये और उस आधर पर प्रतिवादीगण को वरिष्ठ पद दिया जायेगा क्योंकि रीडर के रूप में उनकी सेवा अवधि अपीलकर्ता की तुलना में अधिक लंबी थी।

अपील को अनुमति देते हुए, इस न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया :

1. उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 की धारा 68 के तहत एक वैकल्पिक उपचार की उपलब्धता के आधार पर रिट याचिका को खारिज करने में उच्च न्यायालय सही नहीं था, खासकर जब 1988 में दायर की गई रिट याचिका पहले ही प्रवेश के समय सुनी जा चुकी थी और पिछले पाँच वर्षों से अधिक समय से उच्च न्यायालय में लंबित थी। चूँकि जो प्रश्न उठाया गया था वह विशुद्ध रूप से कानून का प्रश्न शामिल था और भले ही मामला अधिनियम की धारा 68 के तहत कुलाधिपति को भेजा गया था, लेकिन कुलाधिपति के आदेश से व्यथित पक्ष द्वारा अदालत में हंगामा होना स्वाभाविक था, यह ऐसा कोई मामला नहीं था जहां उच्च न्यायालय को वैकल्पिक उपाय की उपलब्धता के आधार पर अपीलार्थी को गैर-अनुकूलित करना चाहिये था। [156 - जी-एच, 157-ए]

2.1 अधिनियम की धारा 31-ए और 2 (1) में निहित प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए इस निष्कर्ष से बचा नहीं जा सकता है कि प्रतिवादीगण संख्या 4 और 5 को व्यक्तिगत पदोन्नति योजना के तहत तब तक पदोन्नति नहीं दी जा सकती थी जब तक कि आवश्यक प्रावधान इस तरह की पदोन्नति के लिये सेवा और योग्यतायें विश्वविद्यालय के क़ानून में बनाई गई थी निर्धारित न हो जायें और चूंकि यह 21 फरवरी, 1985 की अधिसूचना द्वारा किया गया था, व्यक्तिगत पदोन्नति योजना के तहत पदोन्नति 21 फरवरी, 1985 से पहले नहीं की जा सकी थी। [160 - एच, 161-ए]

2.2 . कार्यकारी परिषद ने 8 नवंबर, 1984 को अपने प्रस्ताव संख्या 198 में 12 दिसंबर, 1983 और 25 फरवरी, 1984 के सरकारी आदेशो के आधार पर प्रतिवादीगण संख्या 4 और 5 की पदोन्नति के लिए चयन समिति की सिफारिशों को स्वीकार कर लिया था। उस समय अधिनियम की धारा 31 में सीधी भर्ती द्वारा शिक्षकों की नियुक्ति का प्रावधान था और इसमें निम्न शिक्षण पद से उच्च शिक्षण पद पर पदोन्नति की परिकल्पना नहीं की गई थी। व्यक्तिगत पदोन्नति का प्रावधान करने वाले अधिनियम में आवश्यक संशोधन किए जाने तक उपरोक्त सरकार के आदेशों को प्रभावी नहीं किया जा सका। ऐसा उत्तर प्रदेश अधिनियम 1985 का 9 के द्वारा धारा 31-ए को 10 अक्टूबर, 1984 से प्रभावी करके

किया गया था। लेकिन धारा 31-ए को तभी प्रभावी किया जा सकता है जब कानून में सेवा की अवधि और व्यक्तिगत पदोन्नति के लिये योग्यता निर्धारित करने के लियेआवश्यक प्रावधान किये गये हो। यह 21 फरवरी, 1985 की अधिसूचना द्वारा किया गया था। इसलिये व्यक्तिगत पदोन्नति योजना के तहत प्रोफेसर के ग्रेड पर प्रतिवादीगणा संख्या 4 और 5 की पदोन्नति 21 फरवरी, 1985 से पहले नहीं की जा सकती थी और इसे 21 फरवरी, 1985 से प्रभावी माना जाना था। अपीलकर्ता और प्रतिवादीगण संख्या 4 और 5 की पारस्परिक वरिष्ठता उस आधार पर निर्धारित की जानी थी । [161 - बी-डी]

2.3 . 21 फरवरी 1985 की अधिसूचना द्वारा संशोधित परिनियम के तहत परिनियम 18.05 के खंड (बी) में यह निर्धारित किया गया है कि एक ही संवर्ग में, व्यक्तिगत पदोन्नति द्वारा या प्रत्यक्ष रूप से भर्ती नियुक्त शिक्षकों की परस्पर वरिष्ठता तदनुसार ऐसे संवर्ग में वास्तविक क्षमता में निरंतर सेवा अवधि तक निर्धारित की जायेगी। चूंकि प्रतिवादी संख्या 4 और 5 की पदोन्नति केवल 21 फरवरी 1985 से वैध मानी जा सकती है, प्रोफेसर के संवर्ग में उनकी सेवा गणना 21.02.1985 से की जानी थी जबकि अपीलकर्ता की सेवाकी गणना 9.11.1984 से की जानी थी। इसलिए, और जहाँ तक प्रोफेसर के कैडर में वरिष्ठता का संबंध है,

अपीलकर्ता प्रतिवादीगण संख्या 4 और 5 से उपर रखे जाने का हकदार था। [161 - जी-एच, 162-ए]

सिविल अपीलीय क्षेत्राधिकार : सिविल अपील सं. 607/1995

सीएमपीडब्लू पी नंबर 15566/1988 में इलाहाबाद उच्च न्यायालय के निर्णय एवं आदेश दिनांक 6.1.94 से

एम. एल. भट, अरुण जेटली, एस. बी. सान्याल, सुश्री पूर्णिमा भट, सुनील गुप्ता, सुनील के. सिंह, यू. एन. सिंह, आर. के. शर्मा, सुश्री विजय लक्ष्मी मेनन, मनिंदर सिंह और के. एल. तनेजा उपस्थित दलों के लिए।

न्यायालय का निर्णय एस.सी.अग्रवाल न्यायाधिपति द्वारा दिया गया था। अनुमति प्रदान की गई।

हमने पक्षों के लिए विद्वान वकील को सुना ।

इस अपील में अपीलार्थी-डॉ बाल कृष्ण अग्रवाल और प्रतिवादीगण संख्या 4 और 5, डॉ. मुरली मनोहर जोशी और डॉ. पी. के. शर्मा की इलाहाबाद विश्वविद्यालय में भौतिकी में प्रोफेसर के रूप में (इसके बाद 'विश्वविद्यालय' के रूप में संदर्भित) के परस्पर वरिष्ठता के संबंध में प्रश्न शामिल है। विश्वविद्यालय की कार्यकारी परिषद ने 16 जुलाई, 1978 के प्रस्ताव द्वारा, प्रतिवादीगण संख्या 4 और 5 को अपीलार्थी से वरिष्ठ घोषित किया। कार्यकारी परिषद के उक्त प्रस्ताव के खिलाफ अपीलार्थी

द्वारा दायर रिट याचिका संख्या 15566 /1988 को इलाहाबाद उच्च न्यायालय द्वारा 6 जनवरी, 1994 के फैसले द्वारा इस आधार पर खारिज कर दिया गया था कि उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 (इसके बाद 'अधिनियम' के रूप में संदर्भित) की धारा 68 के तहत कुलाधिपति को रेफरेंस करने का वैकल्पिक उपाय है अपीलकर्ता के लिए उपलब्ध था।

अधिनियम की धारा 31 में शिक्षकों की नियुक्ति का प्रावधान करती है। धारा 31 की उप-धारा (10) में यह निर्धारित किया गया है कि उत्तर प्रदेश में पर्याप्त प्रसार वाले दो समाचार पत्रों के कम से कम तीन अंकों में रिक्ति के विज्ञापन देने के बाद ही किसी भी नियुक्ति के लिए कोई चयन नहीं किया जाएगा। उक्त प्रावधान को ध्यान में रखते हुए विश्वविद्यालय में शिक्षकों की नियुक्ति केवल आवेदन आमंत्रित करके सीधी भर्ती द्वारा की जा सकती थी और निम्न शिक्षण पद से उच्च शिक्षण पद पर पदोन्नति की परिकल्पना नहीं की गई थी। इसके कारण अधिनियम द्वारा शासित विभिन्न विश्वविद्यालयों में शिक्षकों के बीच ठहराव और परिणामस्वरूप निराशा पैदा हुई। इस शिकायत को दूर करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने 12 दिसंबर, 1983 के आदेश द्वारा एक व्यक्तिगत पदोन्नति योजना तैयार की, जिसके तहत एक शिक्षक को एक निश्चित अवधि तक विभाग में की गई निरंतर सेवा के आधार पर व्यक्तिगत

पदोन्नति दी जानी थी। 25 फरवरी, 1984 के आदेश द्वारा उक्त आदेश दिनांक 12 दिसंबर, 1983 को संशोधित किया गया था और यह निर्णय लिया गया था कि उन सभी पूर्णकालिक और नियमित रूप से नियुक्त व्याख्याताओं को रीडर के पद पर व्यक्तिगत पदोन्नति दी जाएगी, जो अधिनियम द्वारा शासित और प्रशासित विश्वविद्यालयों के सरकारी अनुमोदित पदों पर हैं, जिनके पास पीएचडी की डिग्री है और जिन्होंने 13 साल की स्वीकृत, पूर्णकालिक नियमित और निरंतर सेवा पूरी कर ली है और जो 16 साल की स्वीकृत, पूर्णकालिक और नियमित और निरंतर सेवा के बाद पीएचडी नहीं कर रहे हैं। उक्त आदेश जारी होने के बाद कार्यभार संभालने की तारीख से रीडर के रूप में 10 साल की निरंतर और नियमित सेवा के बाद प्रोफेसर से रीडर्स के पद पर व्यक्तिगत पदोन्नति देने का भी निर्णय लिया गया। उक्त आदेश में यह कहा गया था कि शिक्षकों को व्यक्तिगत पदोन्नति निर्धारित प्रतिबंधों के अधीन दी जाएगी, लेकिन उक्त आदेश में पैराग्राफ 1 के उप-पैराग्राफ (1) से (12) में दी जाएगी। उप-अनुच्छेद (12) में यह कहा गया था कि शिक्षकों की वरिष्ठता को संबंधित विश्वविद्यालय के विनियमों के अनुसार विनियमित किया जाएगा। उक्त पत्र द्वारा सभी राज्य विश्वविद्यालयों के कुलपतियों को निर्देश दिया गया कि वे संबंधित विश्वविद्यालय के विनियमों में आवश्यक संशोधन करने के लिए विनियम का मसौदा अनुमोदन के लिए संबंधित शिक्षा विभाग को

भेजें। उत्तर प्रदेश सरकार के उपरोक्त आदेशों में निहित नीति को प्रभावी बनाने के लिए, उत्तर प्रदेश अधिनियम 1985 के संख्या 9 द्वारा धारा 31-ए को जोड़ा गया था जो 10 अक्टूबर, 1984 को लागू हुआ था। धारा 31-क निम्नलिखित प्रावधान करती हैः

" 31 - ए. विश्वविद्यालय के शिक्षकों को व्यक्तिगत पदोन्नति।

(1) इस अधिनियम के किसी भी अन्य प्रावधान में निहित किसी भी प्रतिकूल बात के बावजूद, धारा 31 के तहत विश्वविदयालय मे नियुक्त एक व्याख्याता या रीडर, जिसने इतनी सेवा अवधि पूरी कर ली हो और ऐसी योग्यता रखता हो, जैसा कि निर्धारित किया जा सकता है क्रमश: रीडर या प्रोफेसर के पद पर व्यक्तिगत पदोन्नति दी गई।

(2) इस तरह की व्यक्तिगत पदोन्नति धारा 31 की उपधारा (4) के खंड (ए) के तहत गठित चयन समिति की सिफारिश पर ऐसी रीति से और ऐसी शर्तो के अधीन दी जायेगी जो निर्धारित की जा सकती है।

(3) इस धारा में निहित कोई भी बात धारा 31 के प्रावधानो के अनुसार सीधी नियुक्ति द्वारा भरे जाने वाले विश्वविद्यालय के शिक्षकों के पदो को प्रभावित नहीं करेगी।

धारा 31 की उप-धारा (1) के परिप्रेक्ष्य में धारा 31-ए द्वारा परिकल्पित व्यक्तिगत पदोन्नति केवल सेवा की अवधि और निर्धारित

योग्यता के बाद ही दी जा सकती है। धारा 31-ए द्वारा परिकल्पित सेवा की अवधि और योग्यता निर्धारित होने के बाद ही दी जा सकती है। अधिनियम की धारा 2 (14) में निर्धारित शब्द को क़ानूनों द्वारा निर्धारित अर्थ के रूप में परिभाषित किया गया है। व्यक्तिगत पदोन्नति की योजना को प्रभावी बनाने के लिए आवश्यक संशोधन अधिनियम की धारा 31-ए को 21 फरवरी, 1985 की अधिसूचना द्वारा विश्वविद्यालय के क़ानूनों में बनाया गया था, जिसके तहत क़ानून 11.12-बी पेश किया गया था और विश्वविद्यालय के शिक्षकों की श्रेणियां जो रीडरो और प्रोफेसरों के पद पर व्यक्तिगत पदोन्नति के लिए पात्र होंगी और इस तरह की पदोन्नति का तरीका निर्धारित किया गया था।

अपीलार्थी और प्रतिवादीगण संख्या 4 और 5 विश्वविद्यालय के भौतिकी विभाग में रीडर के रूप में कार्यरत थे। अक्टूबर 1983 में विश्वविद्यालय के भौतिकी विभाग में प्रोफेसर के एक स्थायी पद पर सीधी भर्ती के लिए आवेदन आमंत्रित करते हुए एक विज्ञापन प्रकाशित किया गया था। उक्त विज्ञापन के जवाब में अपीलार्थी और प्रतिवादीगण संख्या 4 और 5 द्वारा अन्य आवेदको के साथ आवेदन जमा किए गए थे। उक्त आवेदनों पर विज्ञान संकाय के तहत चयन समिति द्वारा विचार किया गया था और चयन समिति ने 22 जुलाई 1984 को अपनी रिपोर्ट में अपीलकर्ता ओर प्रतिवादीगण संख्या 4 और 5 के नाम वाले एक पैनल

भौतिकी में प्रोफेसर के पद पर नियुक्त देने की सिफराशि की थी। अपीलकर्ता का नाम उक्त पैनल में सबसे उपर रखा गया था। चयन समिति ने व्यक्तिगत पदोन्नति योजना के तहत प्रोफेसर के ग्रेड में पदोन्नति के लिये अपीलकर्ता और प्रतिवादीगण संख्या 4 और 5 पर भी विचार किया और 22 जुलाई, 1984 की अपनी रिपोर्ट में चयन समिति ने ऐसी पदोन्नति के लिये उन तीनो की सिफारिश की। 8 नवंबर, 1984 को आयोजित बैठक में विश्वविद्यालय की कार्यकारी परिषद द्वारा चयन समिति की उक्त सिफारिश पर विचार किया गया था। प्रस्ताव सं. 197 द्वारा कार्यकारी परिषद ने चयन समिति की सिफारिशों को स्वीकार कर लिया और दर्ज किया कि अपीलार्थी को भैतिक विज्ञान में प्रोफेसर के रूप में नियुक्त किया जाये। प्रस्ताव संख्या 198 द्वारा कार्यकारी परिषद ने व्यक्तिगत पदोन्नति योजना के तहत चयन समिति की सिफारिशो को स्वीकार कर लिया और दर्ज किया कि अपीलकर्ता और प्रतिवादीगण संख्या 4 और 5 को 12 दिसंबर, 1983 और 25 फरवरी, 1984 के सरकारी आदेशों के अनुसार प्रोफेसर के ग्रेड में पदोन्नत किया जाएगा। उक्त प्रस्ताव में अपीलार्थी और प्रतिवादीगण संख्या 4 और 5 के नामो को निम्नलिखित क्रम में दिखाया गया थाः

1. डॉ. बाल कृष्ण अग्रवाल (अपीलार्थी)

2. डॉ. एम. एम. जोशी (प्रतिवादी संख्या 4)

3. डॉ. पी. के. शर्मा (प्रतिवादी संख्या 5)

उक्त संकल्पों के आधार पर, 9 नवंबर 1984 के आदेश द्वारा, अपीलार्थी को भौतिकी में प्रोफेसर के पद पर नियुक्त किया गया था। प्रतिवादीगण संख्या 4 और 5 को व्यक्गित पदोन्नति योजना के अंतर्गत प्रोफेसर के ग्रेड में दिनांक 9.11.1984 को पदोन्नत किया गया था। प्रोफेसर के पद पर अपीलार्थी की नियुक्ति एक वर्ष के लिए परिवीक्षा पर थी और उनकी प्रोफेसर के उक्त पद पर उसे दिनांक 9.11.1985 से नियमित किया गया। अपीलार्थी और प्रतिवादीगण संख्या 4 और 5 की परस्पर वरिष्ठता के मामले पर विज्ञान संकाय की वरिष्ठता समिति ने 22 दिसंबर 1986 और 4 जनवरी 1987 को हुई अपनी बैठक मे विचार किया था। समिति इस निष्कर्ष पर पहुंची कि संवर्ग पदों पर नियुक्ति और व्यक्तिगत पदोन्नति के मामले दो अलग अलग श्रेणियो का गठन करते है और वरिश्ठता के निर्धारण के उददेश्य से इन्हें आपस में नहीं जोडा जा सकता है और संवर्ग पदो पर शिक्षको की वरिष्ठता को व्यक्तिगत पदोन्नतियो से अलग बनाये रखा जाना चाहिये और सीधी भर्ती द्वारा संवर्ग पदों पर नियुक्त शिक्षकों को उनकी नियुक्ति तिथि की परवाह किये बिना व्यक्तिगत पदोन्नति योजना के तहत नियुक्त शिक्षकों से वरिष्ठ माना जाना चाहिए। वरिष्ठता समिति ने अपीलार्थी, जो प्रोफेसर का संवर्ग पद धारण कर रहा था, को प्रतिवादीगा संख्या 4 और 5 से ऊपर रखने का

निर्णय लिया जिन्हें व्यक्तिगत पदोन्नति योजना के तहत प्रोफेसर के ग्रेड में पदोन्नत किया गया था। वरिष्ठता समिति के उक्त निर्णय से व्यथित महसूस करते हुये प्रतिवादीगण संख्या 4 ओर 5 ने अभ्यावेदन प्रस्तुत किया जिस पर कार्यकारी परिषद द्वारा 16 जुलाई, 1988 को आयोजित अपनी बैठक में विचार किया गया था। कार्यकारी परिषद ने वरिष्ठता समिति द्वारा निर्धारित वरिष्ठता को बदल दिया और प्रतिवादीगण संख्या 4 और 5 को अपीलार्थी के ऊपर रखा । कार्यकारी परिषद के उक्त निर्णय पर अपीलार्थी ने रिट याचिका दायर करके इस अपील को प्रस्तुत किया ।

उच्च न्यायालय ने देखा है कि इस तथ्य के प्रत्येक प्रश्न के संबंधमें विवाद था, साथ ही नियुक्तियों की प्रकृति के संबंध में भी विवाद था क्योंकि अपीलार्थी ने दावा किया था कि उसे एक नियमित रिक्ति के खिलाफ नियुक्त किया गया था, जिस पर प्रतिवादीगणो द्वारा हमला किया गया था, जिन्होंने दावा किया था कि तीनों को व्यक्तिगत पदोन्नति दी गई थी और अपीलार्थी के प्रोफेसर के पद पर नियुक्त होने की तारीख को लेकर भी विवाद था। उच्च न्यायालय का विचार था कि यह प्रश्न कि क्या अपीलकर्ता को सुनवाई का अवसर प्रदान किए बिना आक्षेपित आदेश पारित किया गया था, एक ऐसा प्रश्न है जिस पर तथ्यो और तथ्यो के विवादित प्रश्नो की जांच के बाद उचित रूप से निर्णय लिया जा सकता है और यह एक उपयुक्त मामला नहीं था जिसमें अपीलार्थी को अधिनियम की धारा

68 के तहत प्रदान किए गए कुलाधिपति को रेफरेंस के वैकल्पिक उपाय को नजरअंदाज करने की अनुमति दी जानी चाहिए। इसलिए, उच्च न्यायालय ने वैकल्पिक उपचार की उपलब्धता के आधार पर रिट याचिका को खारिज कर दिया और निर्देश दिया कि यदि अधिनियम की धारा 68 के तहत अपीलार्थी का प्रतिनिधित्व दो सप्ताह की अवधि के भीतर दायर किया गया था, तो उसके खिलाफ सीमा का प्रतिबंध लागू नहीं किया जाएगा और इसका निर्णय गुण-दोष के आधार पर किया जाये।

अपीलार्थी के विद्वान वकील ने आग्रह किया है कि उच्च न्यायालय ने इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि रिट याचिका 1988 में दायर की गई थी और इसे एडमिट कर लिया गया था और पिछले पांच वर्षों से अधिक समय से उच्च न्यायालय में लंबित था, एक वैकल्पिक उपाय की उपलब्धता के आधार पर अपीलार्थी की रिट याचिका को खारिज करने में त्रुटि थी। विद्वान वकील ने यह भी आग्रह किया है कि उच्च न्यायालय का यह कहना सही नहीं था कि तथ्य के प्रश्नों पर विवाद था। विद्वान वकील के अनुसार इस बात पर कोई विवाद नहीं है कि अपीलार्थी का चयन चयन समिति द्वारा प्रोफेसर के स्थायी पद पर नियुक्ति के लिए किया गया था, जिसका विज्ञापन दिया गया था और चयन समिति की उक्त सिफारिश को कार्यकारी परिषद द्वारा अपने प्रस्ताव संख्या 197 दिनांक 8 नवंबर, 1984 में स्वीकार कर लिया गया था। यह तथ्य कि अपीलार्थी का नाम कार्यकारी

परिषद के संकल्प संख्या 198 में प्रोफेसर के ग्रेड में व्यक्तिगत पदोन्नति के लिए रीडरो की सूची में भी शामिल किया गया था, इसका मतलब यह नहीं होगा कि प्रोफेसर के पद पर अपीलार्थी की नियुक्ति व्यक्तिगत पदोन्नति के माध्यम से की गई थी, न कि प्रोफेसर के कैडर पद के लिए चयन के आधार पर, जिसका विज्ञापन किया गया था। विद्वान वकील ने यह भी प्रस्तुत किया कि यह अपीलार्थी का मामला नहीं है कि वह 8 नवंबर, 1984 को भौतिकी में प्रोफेसर के पद पर नियुक्त कि अपीलार्थी के साथ-साथ प्रतिवादीगण संख्या 4 और 5 सभी 9 नवंबर, 1984 को भौतिकी में प्रोफेसर के रूप में शामिल हुए थे।

उपरोक्त तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, हमारा विचार है कि उच्च न्यायालय अधिनियम की धारा 68 के तहत एक वैकल्पिक उपाय की उपलब्धता के आधार पर अपीलार्थी की रिट याचिका को खारिज करने में सही नहीं था, विशेष रूप से जब 1988 में दायर की गई रिट याचिका पहले ही एडमिट की जा चुकी थी और पिछले पांच वर्षों से अधिक समय से उच्च न्यायालय में लंबित थी। चूंकि जो सवाल उठाया गया है, उसमें कानून का शुद्ध प्रश्न शामिल है और भले ही मामला अधिनियम की धारा 68 के तहत कुलाधिपति को भेजा गया हो, लेकिन कुलाधिपति के आदेश से व्यथित पक्ष द्वारा अदालत में इसे उकसाया जाना बाध्य है, हमारा विचार है कि यह ऐसा मामला नहीं था जिसमें उच्च

न्यायालय को एक वैकल्पिक उपाय की उपलब्धता के आधार पर अपीलार्थी के लिए उपयुक्त नहीं होना चाहिए था। इसलिए, हम अपीलार्थी और प्रतिवादीगण संख्या 4 और 5 की अंतर वरिष्ठता के संबंध में प्रश्न के गुणागुण में जाने का प्रस्ताव करते हैं। हम इस संदर्भ में यह उल्लेख कर सकते हैं कि प्रतिवादी संख्या 4 पहले ही जनवरी, 1994 में सेवानिवृत्त हो चुका है।

विश्वविद्यालय के शिक्षकों की वरिष्ठता के संबंध में प्रावधान विश्वविद्यालय के प्रथम विधियो के अध्याय 18 में निहित है। 21 फरवरी, 1985 की अधिसूचना द्वारा किए गए संशोधनों से पहले विश्वविद्यालय के शिक्षकों की वरिष्ठता पर असर डालने वाले क़ानून इस प्रकार थेः

"18.05 . विश्वविद्यालय के शिक्षकों की वरिष्ठता निर्धारित करने में निम्नलिखित नियमों का पालन किया जाएगा-

(क) एक प्रोफेसर को प्रत्येक रीडर से वरिष्ठ माना जाएगा, और एक रीडर को प्रत्येक व्याख्याता से वरिष्ठ माना जाएगा।

(ख) एक ही संवर्ग में, एक शिक्षक की वरिष्ठता ऐसे संवर्ग में उसकी मूल क्षमता में निरंतर सेवा की लंबाई के अनुसार निर्धारित की जाएगी:

बशर्ते कि जहां एक ही समय में एक संवर्ग में पदो पर एक से अधिक नियुक्तियां की गई हो, और वरीयता या योग्यता का क्रम, जैसा भी

मामला हो, चयन समिति या कार्यकारी परिषद द्वारा इंगित किया गया था, इस प्रकार नियुक्त व्यक्तियो की की वरिष्ठता इस प्रकार बताए गए आदेश द्वारा शासित होंगे।

(सी) जब कोई शिक्षक किसी विश्वविद्यालय (इलाहाबाद विश्वविद्यालय के अलावा) या किसी घटक कॉलेज या किसी संस्थान में चाहे वह उत्तर प्रदेश राज्य में हो या उत्तर प्रदेश के बाहर, में मूल पद पर नियुक्त हो, चाहे 1 अगस्त 1981 से पहले या उसके बाद विश्वविदयालय में तत्समान रैंक या ग्रेड के किसी पद पर, नियुक्त किया गया हो, ऐसे शिक्षक द्वारा ऐसे विश्वविद्यालय में उस ग्रेड या रैंक में की गई सेवा की अवधि उसकी सेवा अवधि में जोडी जायेगी।

(डी) जब कोई विश्वविदयालय से संबंद्ध या संबंद्ध किसी कॉलेज में मूल पद धारण करने वाले किसी शिक्षक को विश्विदयालय मे व्याख्याता के रूप में इन विधियो के प्रारंभ होने सेपहले या बाद में नियुक्त किया जाता है, फिर ऐसे शिक्षक द्वारा ऐसे महाविद्यालय में प्रदान की गई मूल सेवा की अवधि का आधा हिस्सा उनकी सेवा की अवधि में जोड़ा जाएगा।

(ई) किसी विश्वविद्यालय या संस्थान में प्रशासनिक नियुक्ति के विरुद्ध सेवा को वरिष्ठता के उद्देश्यों के लिए नहीं गिना जाएगा।

स्पष्टीकरण- इस अध्याय में अभिव्यक्ति "प्रशासनिक नियुक्ति " का अर्थ है धारा 13 की उप-धारा (6) के तहत की गई नियुक्ति।

(एफ) एक अस्थायी पद पर निरंतर सेवा, जिस पर एक शिक्षक को चयन समिति के संदर्भ के बाद नियुक्त किया जाता है, यदि उसके बाद धारा 31 (3) (बी) के तहत उस पद पर उसकी वास्तविक क्षमता में नियुक्ति की जाती है तो उसे वरिष्ठता में गिना जायेगा।

18.06 . जहां एक से अधिक शिक्षक उस संवर्ग में निरंतर सेवा की समान अवधि की गणना करने के हकदार हैं, जिससे वे संबंधित हैं, ऐसे शिक्षकों की सापेक्ष वरिष्ठता निम्नानुसार निर्धारित की जाएगीः

(i) प्रोफेसरों के मामले में, रीडर के तौर पर मूल सेवा की अवधि को ध्यान में रखा जाएगा;

(ii) रीडरो के मामले में, व्याख्याता के तौर पर मूल सेवा की अवधि को ध्यान में रखा जाएगा;

(III) प्रोफेसरों के मामले में, जिनकी रीडर के रूप में सेवा की अवधि भी समान है, व्याख्याता के रूप में सेवा की अवधि को ध्यान में रखा जाएगा।

18.07 . जहां एक से अधिक शिक्षक निरंतर सेवा की समान अवधि की गणना करने के हकदार हैं और उनकी सापेक्ष वरिष्ठता का निर्धारण किसी भी पूर्वगामी प्रावधान के अनुसार नहीं किया जा सकता है, तो ऐसे शिक्षकों की वरिष्ठता का निर्धारण आयु में वरिष्ठता के आधार पर किया जाएगा।

18.08 . (1) किसी अन्य क़ानून में कुछ भी निहित होने के बावजूद, यदि कार्यकारी परिषद-

(ए) चयन समिति की सिफारिशों से सहमत है, और एक ही विभाग में शिक्षको के रूप में नियुक्ति के लिए दो या दो से अधिक व्यक्तियों को मंजूरी देता है, यह ऐसी मंजूरी को दर्ज करते समय, ऐसे शिक्षकों की योग्यता का क्रम निर्धारित करेगा;

(ख) चयन की सिफारिशों से सहमत नहीं है और मामले को धारा 31 (8) (ए) के तहत कुलाधिपति को संदर्भित करता है, कुलाधिपति, ऐसे मामलों में जहाँ एक ही विभाग में दो या दो से अधिक शिक्षको की नियुक्ति शामिल है, ऐसे रेफरेंस पर निर्णय लेते समय ऐसे शिक्षको की योग्यता का क्रमनिर्धारित करे।

(2) योग्यता का वह क्रम जिसमें दो या दो से अधिक शिक्षकों को खंड (1) के तहत रखा जाता है, संबंधित शिक्षकों को उनकी नियुक्ति से पहले सूचित किया जाएगा।

21 फरवरी, 1985 की अधिसूचना द्वारा क़ानूनों में किए गए संशोधनों के आधार पर क़ानून 18.05 के खंड (बी) को निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया गया थाः

"(बी) एक ही संवर्ग में, व्यक्तिगत पदोन्नति या सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त शिक्षकों की पारस्परिक वरिष्ठता, ऐसे संवर्ग में मूल क्षमता में निरंतर सेवा की अवधि के अनुसार निर्धारित की जायेगी:

बशर्ते कि जहां एक ही समय में सीधी भर्ती द्वारा एक से अधिक नियुक्तियां की गई हो और वरीयता या योग्यता का क्रम चयन समिति या कार्यकारी परिषद द्वारा इंगित किया गया हो, जैसा भी मामला हो, इस प्रकार नियुक्त व्यक्तियों की परस्पर वरिष्ठता इस प्रकार बताये गये आदेश द्वारा शासित होगी।

बशर्ते कि जहाँ एक ही समय में पदोन्नति द्वारा एक अधिक नियुक्तियाँ की गई हो, वहां इस प्रकार नियुक्त शिक्षको की परस्पर वरिष्ठता वहीं होगी जो पदोननति के समय उनके द्वारा धारित पद पर थी।

अपीलार्थी के विद्वान वकील ने प्रस्तुत किया है कि चूंकि अपीलार्थी को 9 नवंबर, 1984 को भौतिकी में प्रोफेसर के पद पर नियुक्त किया गया था, इसलिये वरिष्ठता को क़ानूनों में निहित प्रावधानों द्वारा विनियमित किया जाना चाहिए क्योंकि वे उक्त तिथि पर अस्त्तित्व में थे और संशोधन जो कि जो कि 21 फरवरी, 1985 की अधिसूचना द्वारा क़ानूनों में बनाए गए थे, उनकी वरिष्ठता के निर्धारण के मामले में कोई आवेदन नहीं होगा। क़ानून 18.05 के खंड (बी) के तहत, जैसा कि यह 9 नवंबर, 1984 को

था, जब अपीलार्थी भौतिकी में प्रोफेसर के रूप में शामिल हुआ, तो अपीलार्थी, जो भौतिकी संकाय में प्रोफेसर का चयन पद संभाल रहा था, प्रतिवादीगण संख्या 4 और 5 से वरिष्ठ था,जो व्यक्तिगत पदोन्नति योजना के तहत पदोन्नत किए गए थे। इस संबंध में, विद्वान वकील ने आग्रह किया है कि हालांकि धारा 31-ए, जो व्यक्तिगत पदोन्नति का प्रावधान करती है, को 10 अक्टूबर, 1984 से अधिनियम में लागू किया गया था, लेकिन उक्त प्रावधान को सेवा की अवधि के साथ-साथ कानूनों में योग्यता निर्धारित किए जाने के बाद ही लागू किया जा सकता है और यह केवल 21 फरवरी, 1985 की अधिसूचना द्वारा कानूनों में पेश किए गए संशोधनों द्वारा किया गया था और इसलिए, प्रतिवादीगण संख्या 4 और 5 की व्यक्तिगत पदोन्नति में इस तरह के संशोधन की तारीख से ही कानूनी तौर पर प्रभावी हो सकता है और प्रतिवादीगण संख्या 4 और 5 को 21 फरवरी, 1985 से भौतिकी में प्रोफेसर के ग्रेड पर व्यक्तिगत पदोन्नति योजना के तहत पदोन्नत माना जाना चाहिए। चूंकि अपीलार्थी 9 नवंबर, 1984 को भौतिकी में प्रोफेसर के रूप में शामिल हुआ था, इसलिए उसे प्रतिवादीगण संख्या 4 और 5 से वरिष्ठ माना जाना चाहिए।

प्रत्यर्थी संख्या 5 की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ वकील श्री सान्याल ने हालांकि आग्रह किया कि प्रतिवादीगण संख्या 4 और 5 की नियुक्ति की वैधता को दिनांक 9 नवंबर, 1984 से अपीलार्थी द्वारा चुनौती

नहीं दी गई है, उसे इस स्तर पर इस प्रश्न को उठाने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। इसमें कोई संदेह नहीं है कि प्रतिवादीगण संख्या 4 और 5 की पदोन्नति की वैधता पर अपीलार्थी द्वारा चुनौती नही नहीं दी गई है, लेकिन वह केवल यह इंगित कर रहा है कि अधिनियम की धारा 31-ए में निहित प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए प्रतिवादीगण संख्या 4 और 5 की पदोन्नति व्यक्तिगत पदोन्नति योजना के तहत केवल तभी किया जा सकता है जब सेवा की अवधि और योग्यताएं क़ानूनों द्वारा निर्धारित की गई हों और इस संबंध में प्रावधान 21 फरवरी, 1985 को क़ानूनों में किए गए थे। दूसरे शब्दों में, अपीलार्थी जो कह रहा है वह यह है कि प्रतिवादीगण संख्या 4 और 5 की पदोन्नति को प्रोफेसर के ग्रेड के लिए केवल 21 फरवरी, 1985 से प्रभावी कानूनी रूप से बनाया गया माना जा सकता है। इसमें उनकी पदोन्नति की वैधता को चुनौती नहीं दी जाती है, बल्कि केवल उस तारीख के बारे में सवाल उठाया जाता है जिससे इसे कानूनी रूप से प्रभावी किया जा सकता है। हमारी राय है कि अधिनियम की धारा 31-ए और धारा 2 (14) में निहित प्रावधानों को देखते हुए इस निष्कर्ष से कोई बच नहीं सकता है कि प्रतिवादीगण संख्या 4 और 5 को व्यक्तिगत पदोन्नति योजना के तहत कोई पदोन्नति नहीं दी जा सकी जब तक कि सेवा की अवधि और ऐसी पदोन्नति के लिए योग्यता निर्धारित करने वाले आवश्यक प्रावधान क़ानूनों में किए गए थे और चूंकि यह 21

फरवरी, 1985 की अधिसूचना द्वारा किया गया था, इसलिए व्यक्तिगत पदोन्नति योजना के तहत पदोन्नति 21 फरवरी, 1985 से पहले नहीं की जा सकी थी। कार्यकारी परिषद ने 8 नवंबर, 1984 को अपने प्रस्ताव संख्या 198 में प्रतिवादीगण संख्या 4 और 5 की पदोन्नति के लिए चयन समिति की सिफारिशों को सरकारी आदेशों दिनांक 12 दिसंबर, 1983 और 25 फरवरी, 1984 के आधार पर स्वीकार कर लिया था। उस समय अधिनियम की धारा 31 में प्रत्यक्ष भर्ती द्वारा शिक्षकों की नियुक्ति का प्रावधान किया गया था और निम्न शिक्षण पद से उच्च शिक्षण पद पर पदोन्नति की परिकल्पना नहीं की गई है। व्यक्तिगत पदोन्नति का प्रावधान करने वाले अधिनियम में आवश्यक संशोधन किए जाने तक उपरोक्त सरकार के आदेशों को प्रभावी नहीं किया जा सका। यह उत्तर प्रदेश अधिनियम 1985 के अधिनियम 9 द्वारा धारा 31-ए को 10 अक्टूबर, 1984 से प्रभावी बनाते हुये किया गया था। किंतु धारा 31-ए को सेवा की अवधि और व्यक्तिगत पदोन्नति के लिए योग्यता निर्धारित करने वाले कानूनों में आवश्यक प्रावधान किए जाने के बाद ही प्रभावी किया जा सकता है। यह 21 फरवरी, 1985 की अधिसूचना द्वारा किया गया था। प्रतिवादीगण संख्या 4 और 5 की पदोन्नतियां व्यक्तिगत पदोन्नति योजना के तहत प्रोफेसर के ग्रेड के लिए, इसलिए, 21 फरवरी, 1985 से पहले नहीं किया जा सकता था और इसे 21 फरवरी, 1985 से प्रभावी माना जाना

चाहिए। अपीलार्थी और प्रतिवादीगण संख्या 4 और 5 की पारस्परिक वरिष्ठता को उपरोक्त के आधार पर निर्धारित किया जाना है।

श्री सान्याल ने यह भी तर्क दिया है कि चूंकि अपीलार्थी और प्रतिवादीगण संख्या 4 ओर 5 की वरिष्ठता 21 फरवरी, 1985 की अधिसूचना द्वारा कानून में संशोधन के बाद कार्यकारी परिषद द्वारा निर्धारित की गई थी, इसलिये वरिष्ठता निर्धारित करने के लिए मानदंड वह होगा जो क़ानूनों में उस तारीख को निर्धारित किया गया था जब ऐसा निर्धारण किया गया था और यह कि वरिष्ठता 21 फरवरी, 1985 की अधिसूचना द्वारा संशोधित क़ानून 18.05 के प्रावधान के अनुसार ठीक से निर्धारित की गई थी। हम सहमत नहीं हो सकते। यहां तक कि 21 फरवरी, 1985 की अधिसूचना द्वारा संशोधित क़ानूनों के तहत भी क़ानून के खंड (बी) में यह निर्धारित किया गया है कि उसी संवर्ग में, व्यक्तिगत पदोन्नति या प्रत्यक्ष भर्ती द्वारा नियुक्त शिक्षकों की वरिष्ठता का निर्धारण ऐसे संवर्ग में स्थायी क्षमता में निरंतर सेवा की अवधि के अनुसार किया जाएगा। चूंकि प्रतिवादीगण संख्या 4 और 5 की पदोन्नति केवल 21 फरवरी, 1985 से ही वैध मानी जा सकती है, प्रोफेसर के संवर्ग में उनकी सेवा की गणना 21 फरवरी, 1985 से की जानी है, जबकि अपीलार्थी की सेवा की गणना 9 नवंबर, 1984 से की जानी है। अपीलार्थी इसलिए,

प्रतिवादीगण संख्या 4 ओर 5 से ऊपर रखे जाने का हकदार है जहाँ तक प्रोफेसर के संवर्ग में वरिष्ठता का संबंध है।

श्री अरुण जेटली, प्रतिवादी संख्या 4 के लिये विद्वान वकील ने हमारा ध्यान क़ानून 18.06 की ओर आकर्षित किया है और प्रस्तुत किया है कि अपीलार्थी और प्रतिवादीगण संख्या 4 और 5 एक ही तारीख को प्रोफेसर के रूप में शामिल हुए और प्रोफेसर के संवर्ग में उनकी निरंतर सेवा की अवधि समान है, उनकी पारस्परिक वरिष्ठता का निर्धारण रीडरो के रूप में उनकी सेवा की अवधि के आधार पर किया जाना चाहिए और उस आधार पर प्रतिवादीगण संख्या 4 और 5 अपीलार्थी से वरिष्ठ पद पर होंगे क्योंकि उनके पास अपीलार्थी की तुलना में रीडरो के रूप में लंबे समय तक सेवा अवधि थी। यह तर्क इस आधार पर भी आगे बढ़ता है कि प्रतिवादीगण संख्या 4 और 5 को वैध रूप से 9 नवंबर, 1984 को प्रोफेसर के ग्रेड में पदोन्नत किया गया था और उक्त तर्क की कोई वैधता नहीं होगी यदि यह माना जाता है कि प्रतिवादीगण संख्या 4 और 5 की पदोन्नति, व्यक्तिगत पदोन्नति योजना के तहत प्रोफेसर के ग्रेड के लिए केवल 21 फरवरी, 1985 से कानूनी रूप से प्रभावी हो सकता है।

उपर्युक्त कारणों से, यह अभिनिर्धारित किया जाना चाहिए कि अपीलार्थी को भौतिकी में प्रोफेसर के कैडर में प्रतिवादीगण संख्या 4 और 5 से वरिष्ठ माना जाना चाहिए था और कार्यकारी परिषद उसे उक्त

प्रतिवादीग से कनिष्ठ रखने में उचित नहीं थी। अतः अपील स्वीकार की जाती है, 6 जनवरी, 1994 के उच्च न्यायालय के फैसले को अपास्त किया जाता है और अपीलार्थी द्वारा दायर रिट याचिका को स्वीकार किया जाता है और यह निर्देश दिया गया है कि अपीलार्थी को विश्वविद्यालय के भौतिकी विभाग में प्रोफेसर के रूप में प्रतिवादीगण संख्या 4 और 5 से वरिष्ठ माना जाना चाहिए। लागत के रूप में कोई आदेश नहीं है।

एजी. अपील स्वीकार की गई।

यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल '**सुवास**' की सहायता से अनुवादक अधिवक्ता नृपेन्द्र सिनसिनवार द्वारा किया गया है।

अस्वीकरण: यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।